Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2025/196

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

Number of Case A/69/ Year 2025

मांगीलाल Versus ओमप्रकाश व अन्य

U/S - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	बहस प्रा-पत्र हेतु तैयार नहीं। समय चाहते हैं। पूर्व में अनेक अवसर बहस हेतु दिये जा चुके हैं। आज दिनांक को भी बहस हेतु तैयार नहीं रहने से इनका बहस का अवसर समाप्त किया जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस की गई। वकील अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा-पत्र को ही उनकी बहस मानते हुए पत्रावली वास्ते आदेश सुनाने हेतु आज दिनांक 28/4/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
28/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1955 एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर जवाब प्रा-पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। सुसंगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से साबित होने से	

Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

CNR NUMBER 2025/196

Number of Case A/69/ Year 2025

मांगीलाल Versus ओमाराम व अन्य

U/S- 212 R.T.A.-1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	आंशिक रूप से (खसरा न 3/3 के संबंध में) स्वीकार किया जाता है। डिक्री निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद संकलन होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर [मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर]	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A/69/2025 (GCMS No 2025/196)

– : : **अनवान्** : : –

प्रार्थी :–

मांगीलाल पुत्र श्री लाखाराम जाति–जाट निवासी–भिड़काली तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान

– : **बनाम्** : –

अप्रार्थीगण :–

1. ओमाराम पुत्र गोबरराम,
2. हुकमाराम पुत्र गोबरराम, जातियान–जाट निवासीगण– भिड़काली तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान।
3. ओमाराम पुत्र सांवलराम जाति–जाट निवासी पालड़ी खिचियान तहसील व जिला जोधपुर।
4. सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी.) जिला खण्ड–द्वितीय, जोधपुर जरिये अधिशाषी अभियन्ता, पी.डब्लू.डी. चौराहा, जोधपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

– : : **निर्णय** : : – **दिनांक : 28.04.2026**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्तागण –

1. श्री उम्मेदसिंह बांवरला एवं रमेश भादू अधिवक्तागण प्रार्थी
2. श्री रूपेश सोलंकी, अन्जू सोलंकी एवं सोनम कंवर अधिवक्तागण अप्रार्थी सं. 01 से 03

उपरोक्तानुसार प्रार्थी/वादी ने जरिये अधिवक्तागण एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबुत आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी सम्भावना है। प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3/3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर ग्राम भिड़काली पटवार हल्का–नारवा खिचियान, भू.अभि.नि.क्षेत्र माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर में आयी हुई

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 5.5685 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 15/2 रकबा 0.3237 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी संख्या 4 के नाम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 15/1 रकबा 0.9712 ग्राम भिड़काली पटवार हल्का नारवा खिचियान तहसील व जिला जोधपुर में आयी हुई है, उपरोक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र के आगे के पदो में विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि के पड़ौस में ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की कृषि भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 4 पी. डब्लू.डी. के नाम की भूमि आयी हुई है जो पी.डब्लू.डी. के नाम की भूमि मौके पर खाली है जबकि मौके पर सार्वजनिक सडक प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि में से चल रही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की कृषि भूमि प्रार्थी के बिल्कुल पड़ौस में ही स्थित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 विधि विरूद्ध एवं अवैध तरीके से प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि को हडप करना चाहते है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के बीच में सीमा (माठ) बनी हुई है उसको बार–बार खातेदार तोड़ देते है, माठ को स्थर नही रहने दे रहे है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि में दखलंदाजी इत्यादि करने एवं माठ तोड़ने का कोई कानूनन अधिकार नही है प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बार–बार समझाया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उल्टा प्रार्थी को ही जान से मारने की धमकी दे रहे है एवं लड़ाई झगडा एवं मरने मारने पर उतारू है, तब प्रार्थी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना सूरसागर में प्रस्तुत की जो विचाराधीन है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि में दखलंदाजी करने एवं माठ तोड़ने कोई कानूनन अधिकार नही है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति है इस कारण प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य विकल्प नहीं होने के कारण प्रार्थी की ओर से वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अप्रार्थी संख्या 4 के नाम की भूमि खसरा नम्बर 15/1 मौके पर बिल्कुल खाली है क्योंकि सार्वजनिक सड़क प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि मे से चल रही है। अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 विधि विरूद्ध एवं अवैध तरीके से अतिक्रमण करने पर उतारू है, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की यही मंशा है कि पी.डब्लू.डी. के नाम की भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर अपनी खातेदारी भूमि के साथ मिलकर भू–माफियों के साथ मिलकर विधि विरूद्ध बैचान इत्यादि करना चाहते है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पी.डब्लू.डी. की भूमि पर अतिक्रमण करने एवं बेचान इत्यादि करने का कोई कानूनन अधिकार नही है इसके सम्बन्ध में पी.डब्लू.डी. के अधिशाषी अभियन्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि पी.डब्लू.डी. की सड़क पर अतिक्रमी को काश्त नही करने हेतू पाबन्द करावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित होने से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पी. डब्लू.डी. के नाम की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं काश्त नही करे जिस हेतू प्रार्थी की ओर से न्यायहित में वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना आवश्यक व न्यायोचित होने के कारण न्यायहित में प्रस्तुत किया जा रहा है। खसरा नम्बर 3/3 प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी का शुरू से ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 15/1 पी.डब्लू.डी. के नाम की भूमि है इस कारण उपरोक्त दोनो खसरान की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कानूनन कोई हक व अधिकार नही बनता है, तथा न ही इनको उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने का अधिकार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में मजबूत है एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर विधि विरूद्ध एवं अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जाता है एवं बीच की सीमा तोड़ी जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं है इस तरह तीनों सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानूनन न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3/3 एवं अप्रार्थी संख्या 4 के नाम की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1/3 का कोई हक व अधिकार नही बनता है इस कारण न्यायहित में वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भिड़काली पटवार हल्का नारवा खिचियान तहसील व जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 3/3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थी के कब्जे व काश्त उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे एवं ना ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खेतो के बीच में स्थित माठ (सीमा) को खुर्द–बुर्द नही करे यथास्थिति बनाये रखे तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम की भूमि खसरा नम्बर 15/1 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं काश्त इत्यादि नही करे एवं उक्त भूमि को अपनी खातेदारी भूमि में मिलाकर बैचान इत्यादि नहीं करे, इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रूपेश सोलंकी, अन्जू सोलंकी एवं सोनम कंवर ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से बावजूद तामील भी कोई उपस्थित नहीं आए, अतः आदेशिका दिनांक 06.03.2026 को अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने का निवेदन किया इसलिए अप्रार्थी संख्या 05 का जवाब का अवसर बंद किया गया। पत्रावली अंतिम बहस

सहायक कलक्टर
(कास्ट ट्रेक) जोधपुर

हेतु नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता को बहस हेतु अनेक बार अवसर दिया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं आए, अतः आदेशिका दिनांक 24.04.2026 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का बहस का अवसर समाप्त किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को उनकी बहस मानते हुए प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तमाम कथन निराधार और अवलोकन मात्र से असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी वाद की बहुलता के आशय से प्रस्तुत वाद काबिले खारिज है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित कथन मिथ्या, मनगढंत एवं गलत होने के कारण अस्वीकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3/3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर ग्राम भिड़कली पटवार हल्का नारवा खिचियान, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर में आयी हुयी हो, राजस्व रेकर्ड का प्रश्न है, जिसका युक्तियुक्त एवं समुचित जवाब राजस्व रेकर्ड को संधारित करने वाले भू–स्वामी अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से दिया जा सकता है। प्रार्थी राजस्व रेकर्ड सम्बन्धि कथन स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। इस पद में वर्णित कथन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 5.5685 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 15/2 रकबा 0.3237 हैक्टर आयी हुयी है, सही होने से स्वीकार है। इस पद में यह अंकित करना, कि अप्रार्थी संख्या 4 के नाम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 15/1 रकबा 0.9712 ग्राम भिड़कली पटवार हल्का नारवा खिचियान, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर स्थित हो, का युक्तियुक्त एवं समुचित जवाब अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा पेश किया जा सकता है। प्रार्थी का उपरोक्त समस्त पक्षकारान की खसरान की कृषि भूमि को विवादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित करना बेमाना कथन है, प्रार्थी को पक्षकारान् की खसरान् की कृषि भूमि को विवादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही विधिकतः अनुमति योग्य है।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तमाम कथन सत्यता से परे होने के कारण अस्वीकार है। यहाँ यह अंकित करना सही है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि के पड़ौस में ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की कृषि भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि आयी हुयी है, लेकिन यहाँ यह अभिवचन सरासर गलत एवं बेमाना है कि पी. डब्ल्यू.डी के नाम की भूमि मौके पर खाली है वास्तविक स्थिति यह है कि राजस्व रेकर्ड में मूल खसरा नम्बर 15 के ही 15/1 व 15/2 हिस्से/मीन है, जो भौतिक एवं वास्तविक रूप से समतल

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

एवं एक है, इन खसरा नम्बर 15 के ही 15/1 व 15/2 की सम्पूर्ण खसरान की कृषि भूमि में जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण की ओर से बुवाई खेती कर रखी है, जो जवाब देईन्दा अप्रार्थी और उनके पूर्वज वर्षो से खेती करते आ रहे है। इस पद में यह अभिवचन कि मौके पर सार्वजनिक सडक प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से चल रही है, अप्रार्थी संख्या 4 के सड़क परियोजना से सम्बन्धित प्रश्न है, जिनका जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण से प्रत्यक्षतः कोई लेना–देना सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। इस पद में यह कथन निराधार एवं गलत है कि ''अप्रार्थी संख्या 1 से 3 विधि विरूद्ध एवं अवैध तरीके से प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि को हड़प करना चाहते है एवं प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि के मध्य माठ बनी हुयी हो, उसको बार–बार खातेदार तोड़ देते है, माठ को स्थर नहीं रहने दे रहे है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थी के दखलअन्दाजी इत्यादी करने एवं माठ तोड़ने का कोई कानून अधिकार नहीं है, प्रार्थी ने बारम्बार समझाया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उल्टा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दे रहे है, तब प्रार्थी ने इसकी रिर्पोट पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर में प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि में दखलअन्दाजी करने एवं माठ तोड़ने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है।'' उपरोक्त प्रकार के तमाम अभिवचन प्रार्थी ने केवल मात्र जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण को तंग और परेशान करने की गर्ज से विचाराधीन प्रार्थना–पत्र के माध्यम से पेश किया है, जो अनुचित एवं नाजायज है वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि की सीमा के मध्य जवाब देईन्दा अप्रार्थी की व्यक्तिगत खर्च से तारबन्दी कर रखी है, इसके बावजुद जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पटवारी द्वारा सीमाकंन करवाने एवं अधिकृत अधिकारी उपस्थिति में अपने खसरान की कृषि भूमि में पक्की बाउण्डरी वॉल निर्माण करवाने को तैयार है, बशर्त है कि प्रार्थी बाउण्डरी वॉल बनने के बाद, उक्त सीमाकंन से मुकर कर जवाबदेईन्दा अप्रार्थीगण को उपरोक्त विषय बाबत अन्य वाद–विवाद पेश कर आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाये अथवा क्षतिपूर्ति के लिये अपने आपको पाबंद होने का शपथ पत्र पेश करे। इस पद के शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है, प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिले खारिज है।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तमाम कथन मिथ्या मनगढत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी का यहाँ स्वीकृत कथन है कि अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से राजस्व रेकर्ड की भूमि खसरा नम्बर 15/1 मौके पर खाली है, उक्त खसरा नम्बर 15/1, मूल खसरा नम्बर 15 का हिस्सा रही थी, अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा वर्ष 1979 में गैर मुमकिन सडक की भूमि हेतु अधिग्रहण कर दर्ज की गयी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा उपरोक्त सड़क प्रयोजनार्थ अधिग्रहण की गयी भूमि का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया, इसी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

कारण सार्वजनिक सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है और केवल मात्र कागजों में अधिग्रहण होना अंकित है, जिसका ना ही आज दिन तक खातेदारान् को अधिग्रहण भूमि का मुआवजा अदा किया गया है, इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का एक राजस्व मूलवाद बाबत घोषणा मय निषेधाज्ञा का, विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 4 के माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इस कारण इस पद में यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 विधि विरूद्ध एवं अवैध तरिके से अतिक्रमण करने पर उतारू है, का कथन सरासर बेमाना है, अप्रार्थी संख्या 4 का ऐसा कोई विधि विरूद्ध एवं अवैध तरिके से अतिक्रमण का मामला विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के प्रस्तावित, संस्थित एवं विचाराधीन नहीं है और उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थी का किसी प्रकार कोई हित निहीत नहीं होने से प्रार्थी को विरूद्ध जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण के कोई अधिकार हासिल नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उपरोक्त आधार के चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है। इस पद में अप्रार्थी संख्या 4 के अधिशाषी अभियन्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध तहसीलदार जोधपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि पी.डब्ल्यु.डी. की सड़क पर अतिक्रमी को काश्त नहीं करने हेतु पाबन्द करवाये, सरासर गलत एवं निराधार आरोप प्रत्यारोप किया गया है, जिसके सम्बन्धि कोई प्रमाण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है और प्रार्थी को पी.डब्ल्यु.डी. की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा लाने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही पी.डब्ल्यु.डी. की ओर से विवादग्रस्त विषय बाबत अधिकृतता विलेख/पत्र प्राप्त नहीं है। पी.डब्ल्यु. डी. की बनायी गयी सड़क अतिक्रमण मुक्त होकर आवागमन के उपयोग उपभोग में आ रही है और आवागमन सड़क पर जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण का कोई अतिक्रमण नहीं है, जिस बाबत जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण सशपथ अपना जवाब प्रस्तुत करते है। प्रार्थी के इस पद के तमाम कथन गलत होने से अस्वीकार है, प्रार्थी स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिले अस्वीकार है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तमाम कथन मिथ्या मनगढत एवं गलत होने के कारण अस्वीकार हैं। प्रार्थी ने इस पर में पूर्व पद के कथनों का रिपीटेशन मात्र है, जिनका समुचित एंव युक्तियुक्त जवाब पूर्व पदों में दिया जा चूका है। खसरा नम्बर 3/3 प्रार्थी अपना खसरे की कृषि भूमि का अंकन कर कब्जा काश्त होना बता रहा है, जिसमें जवाब देईन्दा अप्रार्थी द्वारा कब–कब माठ तोड़ी गयी, माठ कौनसी दिशा में कितने फुट/मीटर में तोड़ी गयी, माठ किसके द्वारा तोड़ी गयी, माठ की पूर्व और वर्तमान स्थिति का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है, प्रार्थी ने केवल गोलमोल तथ्यों को प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय को गुमराह करके स्थगन आदेश हासिल करना मेलाफाईड आश्य रहा है, जिससे जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण को येनकेन प्रकारेण तंग और परेशान किया जा सके। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थी ने जनसुनवाई में अधिकृत अधिकारी के समक्ष, कमिश्नर महोदय के समक्ष, पुलिस थाना सुरसागर के समक्ष, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, उत्तर जोधपुर के समक्ष और हाल में श्रीमान् के समक्ष विरूद्ध

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

जवाब देइन्दा अप्रार्थी को टारगेट करते हुये कई मामले संस्थित किये है, जिनमें प्रार्थी के व्यक्तिगत हित प्रभावित होना नही मानकर प्रार्थी को वाद का अधिकार हासिल नहीं होने के चलते कोई कार्यवाही करने में सफल नहीं रहा है। खसरा नम्बर 15/1 के सम्बन्ध में वाद का अधिकार पी. डब्ल्यु.डी. को हासिल है। खसरा नम्बर 15 मूल व मीन के सम्बन्धि में बाद का अधिकार जवाब देईन्दा अप्रार्थी को हासिल है। इस आधार पर प्रार्थी को वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना निराधार होने के कारण काबिले अरवीकार है।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 5 में वर्णित तमाम कथन मिथ्या मनगढ़त एवं गलत होने के कारण अस्वीकार हैं। यह कथन सही है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3/3 एवं अप्रार्थी संख्या 4 के नाम की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का हक अधिकार नहीं बनता है, यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जवाब देईन्दा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रार्थी की भूमि 3/3 के विरूद्ध कोई कृत्य, अभिवचन, कार्यवाही नहीं की गयी है और ना ही किसी प्रकार के प्रार्थना व अनुतोष प्रार्थी के विरूद्ध प्रत्यक्षतः व परोक्षतः चाहा नहीं गया है, इस कारण प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त अभिवचन में अनुतोष रूपी प्रार्थी के कथन गलत होने से अस्वीकार है, प्रार्थी स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करे। जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में वर्णित निराधार तथ्यों के आधार पर पांबद कर काश्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब देईन्दा अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना–पत्र रेकर्ड पर लिया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निराधार होने से खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचन में खसरा नम्बर 15/1 बाबत कोई अभिवचन नहीं होने के बावजुद अनुतोष पद में उपरोक्त खसरा नम्बर का संयोजन बदनियतिपूर्वक होने के चलते, उपरोक्त प्रार्थना को निरस्त कर डिलीट किये जाने का आदेश पारित किया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो मुफिम जवाब देईन्दा अप्रार्थीगण के हो, अता फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया, हस्तगत पत्रावली मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात्, जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन, अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

1. प्रार्थी का कथन है कि वह खसरा संख्या 3/3 रकबा 0.3237 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मिड़कोली, तहसील व जिला जोधपुर का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि पर उसका

सहायक कलक्टर
(ईस्ट टेक) जोधपुर

लंबे समय से शांतिपूर्ण एवं वैध कब्जा है। प्रार्थी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि वह उक्त भूमि पर नियमित रूप से कृषि कार्य करता आ रहा है और उसका कब्जा राजस्व अभिलेखों में भी परिलक्षित है।

प्रार्थी ने आगे यह कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3, जो कि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बिना किसी विधिक अधिकार के उसकी उक्त खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे बार–बार भूमि की सीमाओं (माठ) को तोड़ते हैं, भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं तथा प्रार्थी को खेती करने से रोकने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में प्रार्थी ने यह आशंका भी व्यक्त की है कि यदि समय रहते न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण जबरन कब्जा स्थापित कर सकते हैं, जिससे प्रार्थी को गंभीर एवं अपूरणीय क्षति होगी।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में खसरा संख्या 15/1 का भी उल्लेख किया है तथा उक्त भूमि के संबंध में भी निषेधाज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की है, यद्यपि इस संबंध में स्पष्ट एवं ठोस अधिकार संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है।

2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब–प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के समस्त कथनों का खंडन किया गया है। उनका कहना है कि प्रार्थना–पत्र तथ्यहीन, निराधार एवं दुर्भावनापूर्ण है तथा प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि प्रार्थी को विवादित भूमि पर कोई वैध एवं विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में अतिशयोक्ति की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि भूमि के संबंध में वास्तविक स्थिति का निर्धारण राजस्व अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण ने यह भी इंगित किया है कि खसरा संख्या 15/1 पर प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है और वह भूमि अन्य के नाम दर्ज है। अतः उस भूमि के संबंध में निषेधाज्ञा की मांग पूर्णतः अनुचित है।

3. अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु न्यायालय को तीन प्रमुख तत्वों – प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन – का परीक्षण करना आवश्यक है।

(क) प्रथम दृष्टया मामला :–

– प्रार्थी का कथन है कि खसरा संख्या 3/3 उसकी खातेदारी भूमि है तथा वह उस पर काबिज है। इसके विपरीत, अप्रार्थीगण ने इस कथन का सामान्य खंडन किया है और यह कहा है कि प्रार्थी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है।

– अभिलेख पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण से यह प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि खसरा संख्या 3/3 पर प्रार्थी का खातेदारी अधिकार एवं कब्जा विद्यमान है। अप्रार्थीगण इस तथ्य को ठोस साक्ष्य से खंडित करने में असफल

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

रहे हैं। अतः इस खसरे के संबंध में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है।

– वहीं, खसरा संख्या 15/1 के संबंध में अप्रार्थीगण का यह कथन कि प्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है, अभिलेखीय स्थिति से पुष्ट होता है। प्रार्थी इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अतः इस खसरे के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता है।

(ख) सुविधा का संतुलन :–

– प्रार्थी का कथन है कि यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा उसे गंभीर नुकसान होगा। अप्रार्थीगण का कहना है कि निषेधाज्ञा दिए जाने से उन्हें अनावश्यक रूप से रोका जाएगा।

– न्यायालय द्वारा परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि खसरा संख्या 3/3 के संबंध में वर्तमान स्थिति को बनाए रखना न्यायोचित है, क्योंकि प्रार्थी का कब्जा प्रथम दृष्टया स्थापित है। यदि अप्रार्थीगण को हस्तक्षेप करने दिया गया, तो इससे विवाद और जटिल हो जाएगा।

– इसके विपरीत, खसरा संख्या 15/1 के संबंध में, जब प्रार्थी का कोई अधिकार सिद्ध नहीं है, तो सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में नहीं है। इस बिंदु पर अप्रार्थीगण का कथन उचित प्रतीत होता है।

(ग) अपूरणीय क्षति :–

– प्रार्थी का कहना है कि यदि अप्रार्थीगण को हस्तक्षेप से नहीं रोका गया तो उसकी भूमि पर कब्जा किया जा सकता है, जिससे उसे अपूरणीय क्षति होगी। इसके विपरीत, अप्रार्थीगण का कथन है कि वे कोई अवैध कार्य नहीं कर रहे हैं और प्रार्थी को कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।

– न्यायालय द्वारा विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 3/3 के संबंध में यदि हस्तक्षेप जारी रहता है, तो प्रार्थी के कब्जे में व्यवधान उत्पन्न होगा, जो कि भूमि संबंधी अधिकारों की दृष्टि से गंभीर एवं अपूरणीय क्षति है। ऐसी क्षति की पूर्ति धनराशि द्वारा संभव नहीं है।

– परंतु खसरा संख्या 15/1 के संबंध में, जब प्रार्थी का कोई अधिकार स्थापित नहीं है, तब अपूरणीय क्षति का प्रश्न भी नहीं उठता। अतः इस बिंदु पर अप्रार्थीगण का खंडन स्वीकार्य प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि --

-- खसरा संख्या 3/3 के संबंध में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन तीनों तत्व उसके पक्ष में स्थापित होते है।

-- खसरा संख्या 15/1 के संबंध में प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया अधिकार स्थापित नहीं होता तथा अन्य तत्व भी उसके पक्ष में नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को खसरा संख्या 3/3 में प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण नहीं करने हेतु तथा खसरा संख्या 15/1 के संबंध में प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् समझते है।

: : आदेश : :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं तथा अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती हैं कि ताफैसला मूलवाद अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को खसरा संख्या 3/3 में प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है एवं खसरा संख्या 15/1 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर